B- ~~3~~ 4
L- 31
Ethics

नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत → जो हमें उचित अनुचित का भेद बताए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए

- बाह्य
  - विधि
  - नियम
  - विनियम

  क्या उचित है, क्या अनुचित है तथा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तीनों हमें यही बताते हैं। कोई भी काम हो, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार विनियम के अनुसार करना चाहिए।

- आन्तरिक
  - अंतरात्मा
    - गांधी- अन्तरात्मा के अनुसार काम करो।
    - कांत- नैतिक नियमों के अनुसार काम करना चाहिए।
    - क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए।

कानून v/s नैतिकता

कानून और नैतिकता दोनों हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और इसके लिए मानदण्डों को भी निर्धारित करते हैं

नैतिकता की भावना हमें उचित व्यवहार करना सिखाती है प्रेरित भी करती है वहीं कानून हमें कुछ करने या न करने का निर्देश देता है। बाध्य करता है।

KGS IAS

अतः आदर्श कानून उसे माना जाएगा जो हमारी नैतिक मान्यताओं एवं भावनाओं के अनुरूप हो एवं विवेक द्वारा समर्थित हो।

सामान्यतः नैतिकता की भावना हमें कानून का पालन करने की प्रेरणा देती है परन्तु कभी-कभी कुछ ऐसे कानूनों या परिस्थितियों का सामना होता है जहाँ या तो कानून ही अन्यायपूर्ण हो या परिस्थिति ऐसी हो कि कानून का उल्लंघन प्रगतिशील मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी नैतिक चेतना अनुचित कानून का विरोध करने की प्रेरणा देती है और कुछ परिस्थितियों में कानून के विपरीत आचरण को भी उचित मानती है।

जैसे- गांधी ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया और नमक कानून को भंग किया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल कानून की उपस्थिति हमारे नैतिक चरित्र को उन्नत नही कर सकती बल्कि इसके लिए नैतिक मूल्यों और नैतिक चेतना का विकास आवश्यक है। इसमें परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका अत्यंत आवश्यक है।

इनके माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क में नैतिक मूल्यों का बीजारोपण कर उनकी नैतिक चेतना को विकसित किया जा सकता है। नैतिकता की भावना हमें स्वभावतः कानूनों का पालन और मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अतः केवल दण्ड के भय से कानूनों के अनुसार आचरण उपाधिये नही है बल्कि इनके उल्लंघन की स्थिति में अपराध बोध और पश्चाताप की भावना का होना भी कानूनों के सचेत स्वभाविक अनुपालन में मददगार है।

जीवन में जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह कानूनी दृष्टिकोण से अवश्य अपराध होगा, ऐसा नही कहा जा सकता। जैसे- झूठ बोलना, ईर्ष्या करना नैतिक दृष्टिकोण से निन्दनीय है। परन्तु इन्हें कानूनी दृष्टिकोण से अवैध नही माना जा सकता। परन्तु झूठ बोलकर किसी को ठग लेना नैतिक दृष्टिकोण से गलत है और कानूनी दृष्टिकोण से अपराध है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

कानून	नैतिकता
उद्देश्य → - शान्ति एवं व्यवस्था सुरक्षा, न्याय	उद्देश्य → व्यक्ति का नैतिक उत्कर्ष हो और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना।
- प्रवर्तन, दण्ड के भय से लागू, बाध्यता मूलक का भाव, करना पड़ेगा का भाव।	- पालन स्वैच्छिक स्वीकृति से।
- राज्य बाहर से आरोपित होता है	- आन्तरिक प्रेरणा का तत्व होता है।
- विवशता / बाध्यता	- 'करना चाहिए' का भाव होता है।
- उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्यवाही।	- नैतिक नियमों को आत्मा अपने ऊपर आरोपित करती है। जैसे- गांधी, कांट
	- उल्लंघन होने पर पश्चाताप का भाव

विधि → नियम → विनियम

विधि
निर्माण
- संसद
- राज्य विधान मण्डल

नियम
↓
कार्यपालिका, विभिन्न संगठन, विभाग, संस्था कंपनी, दिशा-निर्देश देते हैं।
अपेक्षाकृत परिवर्तनीय

विनियम
↓
विशिष्ट क्षेत्रों को रेग्यूलेट करने के लिये विनियम बनाये जाते हैं।
निर्माण- विनियामक संस्था।

TRAI, RBI, IRDA, LIC
आदि
विनियामक संस्था।
नियम की तुलना में
कानूनी पक्ष अधिक
प्रधान
विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों
को नियंत्रित और निर्देशित
करना'

विधि :-

विधायिका द्वारा विधि का निर्माण संवैधानिक मूल्यों को साकारित करने, शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने, और समुचित आर्थिक सामाजिक विकास हेतु किया जाता है।

विधि का निर्माण देश की विधायिका के द्वारा किया जाता है जो लोगों के ऊपर दायित्व को दर्शाता है यह लोगों को कुछ करने या न करने के लिए बाध्य करता है। यह मार्गदर्शन की ऐसी व्यवस्था है जो मानव के व्यवहार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। इसके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन बाध्यकारी होता है, इसका उल्लंघन दण्डनीय होता है. कानून सामान्यतः

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

ऐसे कर्मों को हतोत्साहित करता है जो नैतिकता पर प्रहार करते हैं।

भारत में नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष कानून नहीं है परन्तु कुछ ऐसे कानून हैं जो परोक्ष रूप से नैतिकता को प्रोत्साहित करते हैं जैसे- मानवाधिकार, वृद्ध माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम आदि।

नीति-निदेशक तत्व राज्य को लोक कल्याण हेतु, और मौलिक कर्तव्य व्यक्ति को कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित करते हैं।

यद्यपि कानूनों का पालन व्यवहार में कई बार जटिलता या चुनौती पैदा करता है फिर भी यह नैतिकता की स्थापना का एक प्रभावी उपकरण है,

विधि के सन्दर्भ में मुख्य शर्तें-

- विधि युक्तियुक्त हो, उसका तर्कसंगत आधार हो
- विधि जिसको वर्णित करता है वह अच्छा संभव और न्यायपूर्ण होना चाहिए।
- विधि को व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित में होना चाहिए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- विधि को लोगों की अपेक्षाओं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए।
- विधि एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

नियम (Rule) :-

- कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाये जाते हैं, कानून में प्रायः यह लिखा रहता है कि इस कानून से संबंधित विस्तृत नियमावली कार्यपालिका बनाएगी।

नियम के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए।

जैसे - - सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए सूचना के अधिकार नियमावली को बनाया गया।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम, इससे संबंधित नियमावली बनायी गयी

- नियम कानून की मूल भावना से संगति रखते हुए उसकी व्याख्या सरलीकरण को विस्तारित करते हैं ताकि कानून को

प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

नियमों के उल्लंघन को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है-

1- नियम का उल्लंघन कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह दण्डनीय हो जाता है।

2. नियमों के उल्लंघन को अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

कानून के सन्दर्भ में नियम निर्माण की शक्ति देश की कार्यपालिका को होता है।

नियम विधि से परे नहीं जा सकता। विधायिका द्वारा कार्यपालिका को इस प्रकार की शक्ति प्रदान प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है।

विनियम :- (Regulation)

यह एक विशेष प्रकार का निर्देश होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधि को नियंत्रित करने, निगरानी करने, निर्देशित करने के लिए सरकार के द्वारा अधिकृत संस्था के द्वारा किया जाता है।

विनियम, नियमों के मुकाबले अधिक विस्तृत और तकनीकी पहलू जुड़े रहते हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

जैसे- SEBI, RBI, IRDA, TRAI आदि विनियामक संस्थायें हैं।

अंतरात्मा :-

→ नैतिक मार्गदर्शन का आन्तरिक स्त्रोत अन्तरात्मा है अधिकांश नैतिक विचारक यह मानते हैं कि मनुष्य के भीतर एक नैतिक शक्ति होती है जो अन्तरात्मा है।

गांधी के मतानुसार, अन्तरात्मा ईश्वरीय अंश है जो नैतिक रूप से किसी कार्य के उचित या अनुचित होने का साक्षात ज्ञान प्रदान करती है। गांधी अन्तरात्मा के अनुसार शासन को धर्मराज्य की संज्ञा दी है।

कांट के मतानुसार, अन्तरात्मा व्यवहारिक बुद्धि के रूप में है वे इसे आन्तरिक न्यायाधीश मानते हैं। नैतिक नियम इसी अन्तरात्मा के आदेश हैं

शुद्ध एवं जागृत अवस्था में अन्तरात्मा हमें सदैव नैतिक पथ पर चलने की प्रेरणा देती है, व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है, कर्तव्यबोध कराती है, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता एवं करूणा को प्रोत्साहित करती है

प्रशासनिक सन्दर्भ में अन्तरात्मा विवेकाधीन

अधिकारों के दुरुपयोग को रोकती है और लोक सेवा के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देती है।

अन्तरात्मा को जागृत कैसे किया जाए?

घर परिवार से अच्छे संस्कार, मूल्य आधारित शिक्षा, सकारात्मक सामाजीकरण, अच्छी आदतों का विकास, मध्यम मार्ग को चुनने का अभ्यास, व्यक्ति की नैतिक चेतना का विकास आदि।

पद और परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित कर्तव्य का पालन।

प्रशासन में अन्तरात्मा का प्रयोग कब?

प्रशासन में अन्तरात्मा का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब-

- जब कानून, नियम, दिशानिर्देश स्पष्ट न हो।
- विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते समय।
- जब कोई कानून पुराना और अप्रासंगिक हो गया हो।
- साम्प्रदायिक दंगे, आपदा या आकस्मिक घटित घटनाओं के समय नियम और कानून की प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा परिणाम (लोगों के जान-माल की रक्षा शान्ति और व्यवस्था) अधिक आवश्यक/महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में अन्तरात्मा के

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS KHAN SIR

अनुसार निर्णय लेकर कार्य किया जा सकता है।
- जब पर्याप्त साक्ष्य, आँकड़े या स्पष्ट उदाहरण नहीं हो और निर्णय लेना आवश्यक हो।
- प्रगतिशील मानवीय मूल्यों की रक्षा के क्रम में जब कोई नैतिक विकल्प उपस्थित नहीं हो तो फिर हम अन्तरात्मा के अनुसार निर्णय लेकर कार्य कर सकते हैं।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR